

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

पत्र सं०- 191 / रा०वि०आ०-पा०नि० / नि०कार्य / टेण्डर / 2025-26

दिनांक: १२ मई, 2025

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष-2025-26 में निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद, बहराइच के साथ-साथ अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों (जिनके हैसियत/चरित्र प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर के हों) को सूचित किया जाता है, कि रा०वि०आ०/पा०नि० के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नलिखित 02 निर्माण कार्य हेतु जी०एस०टी० रहित ऑफलाइन सीलबन्द निविदायें निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन दिनांक: 02 जून, 2025 को अपरान्ह 04:00 बजे तक नगर पालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग में आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 04:30 बजे सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/ सी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच के पद नाम से बन्धक हो, जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र नगर पालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से निर्धारित मूल्य जमा करके दिनांक: 31 मई, 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाओं अथवा न्यूनतम निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, बहराइच को होगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त होने या खोलने की तिथि पर कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा प्राप्त होने या खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी। स्थान व समय तथा निविदा की वैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी। सम्बन्धित निविदा सूचना नगर पालिका परिषद, बहराइच की वेबसाइट www.bahraichnpp.in पर उपलब्ध है।

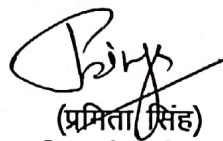
क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (18% GST रहित)	2 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जीएसटी 18 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	गोण्डा रेलवे क्रासिंग के पास बायीं तरफ साइड पटरी पर इंटरलाकिंग का कार्य।	418880.00	7380.00	418.00	75.00	493.00	एक माह
2	गोण्डा रेलवे क्रासिंग के पास दायीं तरफ साइड पटरी पर इंटरलाकिंग का कार्य।	422656.00	8460.00	422.00	76.00	498.00	एक माह

शर्तें

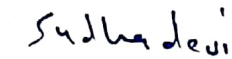
- निविदा के सील बन्द लिफाफे पर निविदा कार्य संख्या एवं कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- सील बन्द निविदायें नगर पालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग में रखे निविदा बाक्स में दिनांक: 02.06.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे तक ही डाली जायेगी, जो उसी दिन अपरान्ह 04:30 बजे सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहराइच के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
- टेण्डर के साथ प्रत्येक कार्य हेतु 02 प्रतिशत जमानत धनराशि की एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा की स्वीकृति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा की बिक्री एवं प्राप्त होने तथा खालने की तिथि पर किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा बिक्री एवं प्राप्त होने तथा खालने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी, स्थान व समय तथा निविदा की वैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी।



5. निविदा स्वीकृति/कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य स्थल पर लगाये जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर कराकर पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
6. कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण होने पर अलग-अलग फोटोग्राफ देना होगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पहले स्थल पर साइन बोर्ड ठेकेदार को शासन के दिशा-निर्देशानुसार लगाना होगा।
7. निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ होने की सूचना अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता को देना होगा तथा स्थल पर कार्य अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कराया जायेगा।
8. कार्य स्थल पर सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो ठेकेदार को तत्काल अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य को मानक के अनुरूप कराना होगा, अन्यथा कराये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. नगर पालिका परिषद बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के अतिरिक्त अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को टेण्डर फार्म का क्रय करने के समय विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न करनी होगी।
10. प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगर पालिका परिषद बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को छोड़कर) को अनुबन्ध से पूर्व नगर पालिका परिषद बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदुपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
11. उक्त कार्यो हेतु तीन-तीन निविदाये प्राप्त होने पर ही निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
12. प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद बहराइच को होगा। इस सम्बन्ध में किसी का दावा स्वीकार नहीं होगा।
13. निविदादाता के हैसियत/चरित्र प्रमाण पत्र की समयावधि निर्धारित समय के अन्दर ही होनी चाहिये। चरित्र/हैसियत प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त हो जाने वाले ठेकेदारों/फर्मों की निविदाये स्वीकार नहीं होगी।
14. उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्मों को करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. उक्त निविदा सूचना में अंकित निविदा की धनराशि में 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित नहीं है जिसका भुगतान नियमानुसार बिल की धनराशि में सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।



(प्रमिता सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।



(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ०सं० एवं दिनांक-उपरोक्त
प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बहराइच।